मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462004

क्रमांक एफ. 11 (4)/99/1/10 भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—लोक आयुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा ट्रेप प्रकरण में समानान्तर जांच करने बाबत्.

लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना करने की कार्यवाही की जाती है. शासन के ध्यान में ऐसा प्रकरण आया है कि विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन में विवेचनाधीन ट्रेप प्रकरण में विभाग प्रमुख ने आरोपी के अभ्यावेदन पर एक समानान्तर जांच के आदेश दिये एवं जांच अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में विवेचनाधीन प्रकरण के संबंध में अनावश्यक टीका टिप्पणी की. विभाग प्रमुख द्वारा इस प्रकार की समानान्तर जांच कराया जाना सर्वथा अनुचित है. अतः शासन द्वारा अपेक्षा की जाती है कि लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा प्रारंभ किये गये ट्रेप के प्रकरणों में विवेचना के दौरान या विवेचना के बाद समानान्तर जांच न कराई जावे.

हस्ता./-

(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. 11 (4)/99/1-10 भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 1999

प्रतिलिपि :

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मुख्य सचिव को संबोधित पत्र क्र. 5907/अप. क्र./55/98, दिनांक 6-1-99 के संदर्भ में प्रेषित.

हस्ता./-

(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.